न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 291 सन 2019
अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र राधेश्याम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. द्वारका प्रसाद पुत्र राधेश्याम जाति जाट साकिन ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर
3. भीमराज पुत्र राधेश्याम जाति जाट साकिन ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर
4. राजेश कुमार पुत्र राधेश्याम जाति जाट साकिन ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर
5. कमलादेवी 6. कैलाश 7. रूकमणी 8. हिरादेवी 9. मंजु 10 मैनादेवी पुत्रीया राधेश्याम जाति जाट साकिन ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 06/09/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 215/213 के खसरा न0 96/5.8420हैक खसरा न0 111/2.0230हैक खसरा न0 188/1 की 6.1840हैक कुल 14.0490हैक एवं रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 496/423 के खसरा न0 868/3 की 3.2880हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा किशनाराम पुत्र बालूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा किशनाराम पुत्र बालूराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रो के नाम से दर्ज हुई व खाता विभाजन में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा किशनाराम पुत्र बालूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के

Scanned with CamScanner

खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता किशनाराम पुत्र बालूराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 215/213 के खसरा न0 96/5.8420हैक्ट खसरा न0 111/2.0230हैक्ट खसरा न0 188/1 की 6.1840हैक्ट कुल 14. 0490हैक्ट एवं रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 496/423 के खसरा न0 868/3 की 3. 2880हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा किशनाराम पुत्र बालूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा किशनाराम पुत्र बालूराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रो के नाम से दर्ज हुई व खाता विभाजन में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा किशनाराम पुत्र बालूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 215/213 के खसरा न0 96/5.8420हैक्ट खसरा न0 111/2.0230हैक्ट खसरा न0 188/1 की 6.1840हैक्ट कुल 14.0490हैक्ट एवं रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 496/423 के खसरा न0 868/3 की 3.2880हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रस्तुत भु0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वाद भूमि वादी के दादा किशनाराम पुत्र बालूराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता किशनाराम पुत्र बालूराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

Scanned with CamScanner

भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम से दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,5 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चका है ।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 215/213 के खसरा न0 96/5.8420हैक खसरा न0 111/2.0230हैक खसरा न0 188/1 की 6.1840हैक कुल 14.0490हैक एवं रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 496/423 के खसरा न0 868/3 की 3.2880हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पांचो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 6/9/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र राधेश्याम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. द्वारका प्रसाद पुत्र राधेश्याम जाति जाट साकिन ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर
3. भीमराज पुत्र राधेश्याम जाति जाट साकिन ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर
4. राजेश कुमार पुत्र राधेश्याम जाति जाट साकिन ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर
5. कमलादेवी 6. कैलाश 7. रूकमणी 8. हिरादेवी 9. मंजु 10 मैनादेवी पुत्रीया राधेश्याम जाति जाट साकिन ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 291 सन 2019 निर्णय दिनांक– 6/9/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 215/213 के खसरा न0 96/5.8420हैक खसरा न0 111/2.0230हैक खसरा न0 188/1 की 6.1840हैक कुल 14.0490हैक एवं रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 496/423 के खसरा न0 868/3 की 3.2880हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पांचो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/09/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र राधेश्याम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम

1 राधेश्याम पुत्र किशनाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 द्वारका प्रसाद पुत्र राधेश्याम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर
3 भीमराज पुत्र राधेश्याम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर
4 राजेश कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर
5 कमलादेवी 6. कैलाश 7. रूकमणी 8. हिरादेवी 9. मंजु 10 मैनादेवी पुत्रीया राधेश्याम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर
11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 291 सन 2019 निर्णय दिनांक– 12/2/2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर निम्नप्रकार से वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 215/213 के खसरा न0 96/5.8420हैक खसरा न0 111/2.0230हैक खसरा न0 188/1 की 6.1840हैक कुल 14.0490हैक एवं रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 496/423 के खसरा न0 868/3 की 3.2880हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पांचो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/2/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner